न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–श्रीनिधि बी टी (आई0ए0एस0) जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर 18 / 2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024 / 39

उनवान प्रकरण

रामप्रसाद आयु करीब 70 वर्ष पुत्र स्व0 पीतम जाति गोस्वामी निवासी शाला गुसाई ग्राम बदरिका तहसील बसईनबाव जिला धौलपुर .....अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार बसईनबाव तहसील बसईनबाव जिला धौलपुर .....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 29.02.2024
मु0नं0 591 / 2024 सरकार बनाम रामप्रसाद
धारा 91 एलआरएक्ट न्याया0तहसीलदार बसईनबाव

उपस्थिति :–
अपीलान्ट की ओर से :– श्री हरिवीरसिंह एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :–पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 26.11.2024

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि खसरा नम्बरान 216,231,224,225,226,217 एवं 203 वाके ग्राम शास्त्र नगर तहसील बसई नबाव के क्षेत्रफल 0.8598 हेक्टेयर के सम्बध में तहसीलदार बसईनबाव द्वारा अपीलान्ट को पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण का नोटिश दिया गया और जरिये नोटिश अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.02.2024 को उपस्थित होने एवं जबाव प्रस्तुत करने का अपीलान्ट को आदेशित किया अपीलान्ट ने दिनांक 29.02.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाव प्रस्तुत किया कि अपीलांट विवाद ग्रस्त आराजी पर 20 वर्षो से पूर्व से लगातार काबिज होकर काश्त कर रहा है वर्तमान में भी अपीलांट काबिज होकर काश्त कर रहा है अपीलान्ट भूमिहीन व्यक्ति है उसके खाते में मात्र 11 बिस्वा भूमि है, बी.पी.एल. परिवार है विवादग्रस्त भूमि में ही काश्त करके अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता है अपीलांट की लगातार कब्जे के आधार पर एवं पुराने कब्जे के आधार पर हैसियत खातेदारी की हो चुकी है एवं लगातार कब्जे के आधार पर विवादग्रस्त आराजी का अपने नाम नियमन करा पाने का अधिकारी है विवादग्रस्त आराजी कृषि भूमि है चारागाह या अन्य प्रकार की धारा 16 आर.टी.एक्ट से वर्जित भूमि नही है इसलिये विवादग्रस्त भूमि को अपीलांट के हक मे नियमन करने हेतु

आवंटन सलाहकार समिति अध्यक्ष एवं उपखंडाधिकारी महोदय सैपऊ के लिये सिफारिस की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलांट के पत्रावली पर उपस्थिति के हस्ताक्षर कराये ना ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाव को रिकॉर्ड पर लिया और पूर्व से छपी हुई आदेशिका पर अपीलान्ट का नाम लिखते हुये एवं खसरा नम्बरान लिखते हुये अपने दिमाग का प्रयोग किये बिना पटवारी एवं परवादी के कथन लिये एवं बिना अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिये साइक्लोस्टार आदेशिका पर निर्णय तैयार कर दिया है आदेशिका पर निर्णय लिखते हुये अपीलान्ट को बेदखल करने एवं 560/– रूपये शास्त्री वसूल करने के लिये एवं फसली जप्त करने के आदेश कर दिये है जो गलत है काबिल खारिज के है जिसके विरूद्व यह अपील इन आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने अपीलांट के जबाव को रिकॉर्ड पर न लेकर सुनवाई का मौका नही देने के कारण प्राकृतिक न्याय के प्राबधान की अवहेलना की है इसलिये निर्णय काबिल खारिजी है अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के कथन नही लिये ना ही अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका दिया इस लिये निर्णय काबिल खारिजी है अपीलांट ने अपने जबाव के साथ सम्बत 2068 से 2078 तक के खसरा परिवर्तनशील की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति एवं सन 2004 से 2023 तक की रसीदों की फोटो प्रति प्रस्तुत की इन सभी को न तो रिकॉर्ड पर लिया नही इनके सम्बध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपना मत व्यक्त किया है इसलिये यह निर्णय काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी विवेचना करे बगैर एवं अपने दिमाग का इस्तेमाल किये बगैर नॉन स्पीकिंग आदेश किया है ये आदेश की तारीफ में नही आता है जो काबिल खारिजी है। अपीलांट को यह नही पता था कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.02.2024 को ही निर्णय कर दिया है अब दिनांक 19.06.2024 को अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में गया और अपने प्रकरण के बारे में जानकारी की और कहा कि मेरे प्रकरण में क्या चल रहा है नियमन की सिफारिस की या नही की तो कार्यालय से बताया कि उसमें तो दिनांक 29.02.2024 को ही निर्णय कर तुम्हें बेदखल करने के आदेश कर दिये है तब निर्णय की जानकारी हुई और उसी दिन निर्णय की नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 20.06.2024 को नकल प्राप्त हो गई नकल मिलने के बाद कानूनी जानकारी कर अपील अन्दर म्याद न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत की गई प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम अपील के साथ प्रथक से प्रस्तुत है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने तथा विवादग्रस्त आराजी को अपीलान्ट के हक में नियमन की कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनिमय पर उभयपक्ष को सुना गया। प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। हम अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना उचित समझते है।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट ने दिनांक 29.02.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाव प्रस्तुत किया कि अपीलांट विवाद ग्रस्त आराजी पर 20 वर्षो से पूर्व से लगातार काबिज होकर काश्त कर रहा है वर्तमान में भी अपीलांट काबिज होकर काश्त कर रहा है अपीलान्ट भूमिहीन व्यक्ति है उसके खाते में मात्र 11 बिस्वा भूमि है, बी.पी.एल. परिवार है विवादग्रस्त भूमि में ही काश्त करके अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लगातार कब्जे के आधार पर विवादग्रस्त आराजी का अपने नाम नियमन करा पाने का अधिकारी है। विवादग्रस्त आराजी कृषि भूमि है चारागाह या अन्य प्रकार की धारा 16 आर.टी.एक्ट से वर्जित भूमि नही है इसलिये विवादग्रस्त भूमि को अपीलांट के हक मे नियमन करने हेतु आवंटन सलाहकार समिति अध्यक्ष एवं उपखंडाधिकारी महोदय सैपऊ के लिये सिफारिस की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलांट के पत्रावली पर उपस्थिति के हस्ताक्षर कराये ना ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाव को रिकॉर्ड पर लिया अपीलांट को बिना सुने अपीलांट के जबाव को रिकॉर्ड पर न लेकर सुनवाई का मौका नही देने के कारण प्राकृतिक न्याय के प्राबधान की अवहेलना की है इसलिये निर्णय काबिल खारिजी है। अपीलांट ने अपने जबाव के साथ सम्बत 2068 से 2078 तक के खसरा परिवर्तनशील की प्रमाणित प्रति की फोटो प्रति एवं सन 2004 से 2023 तक की रसीदों की फोटो प्रति प्रस्तुत की इन सभी को न तो रिकॉर्ड पर लिया नही इनके सम्बध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपना मत व्यक्त किया है इसलिये यह निर्णय काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी विवेचना करे बगैर एवं अपने दिमाग का इस्तेमाल किये बगैर नॉन स्पीकिंग आदेश किया है ये आदेश की तारीफ में नही आता है जो काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा टाइप शुदा आदेश में केवल खाली स्थान भर कर आदेश मनमाने तरीके से पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश प्रकरण के तथ्यों तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी के है।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सिवायचक सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्मी है। पटवारी द्वारा अतिक्मी के विरूद्व की गई रिपोर्ट की पुष्टि होती है। अतिक्मी का अतिक्मण सिद्व होता है। चूंकि आराजी सरकारी सिवायचक है। अतिक्मी उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्ट् खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वसईनबाव के आदेश दिनांक 29.2.2024में अपीलान्ट को उपस्थित/अनुपस्थित, सबूत पेश किये/नहीं किये लिखा है इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलान्ट उपस्थित हुआ अथवा अनुपस्थित रहा। अपीलान्ट ने जबाव, सबूत साक्ष्य पेश किये या नहीं किये स्पष्ट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वसईनबाव ने जो आदेश पारित किया है वह आदेश छपे हुए प्रपत्र में खाली स्थानो पर पेन से कथित अतिक्मण का विवरण अंकित किया है, यह विवके पूर्ण आदेश न होकर मात्र फार्म

भरने जैसा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह भी जाहिर होता है कि अपीलान्ट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किये गये ऐसा कोई तामीली नोटिस पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलान्ट का यह कथन है कि अपीलान्ट ने दिनांक 29.02.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाव प्रस्तुत किया कि अपीलांट विवाद ग्रस्त आराजी पर 20 वर्षो से पूर्व से लगातार काबिज होकर काश्त कर रहा है वर्तमान में भी अपीलांट काबिज होकर काश्त कर रहा है अपीलान्ट भूमिहीन व्यक्ति है तथा नियमन कराने अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के उक्त जबाव एवं प्रस्तुत दस्तावेजातों को रिकार्ड पर नहीं लिया इस सम्बध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.02.2024 में इसका कोई उल्लेख व विवेचन अंकित नहीं किया है। अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्य सरसरी तौर पर करना अनुचित है। अपीलाधीन आदेश विवेक पूर्ण आदेश न होने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.02.2024 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार वसईनबाव को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाव व दस्तावेजातों को रिकार्ड पर लेकर अपीलान्ट नियमन का पात्र है अथवा नहीं के बिन्दू पर अपीलान्ट को सुनवाई का मौका दिया जाकर विधिवत सुनवाई कर सुनवाई के पश्चात गुणावगुण के आधार पर स्पीकिंग आदेश पारित करें तथा भविष्य में इस तरह के छपे हुए प्रपत्र पर आदेश पारित नहीं करें। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ तहसीलदार वसईनबाव को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर